न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 5/2014

उनवान

1. श्री धीसू खां पुत्र स्व0 श्री नूर खां
2. श्री मिट्ठू खां पत्र स्व0 श्री नूर खां
3. श्री नबी खां पुत्र स्व0 श्री नूर खां
4. श्री छोटू खां पुत्र स्व0 श्री नूर खां
5. श्रीमती सकीना पत्नी स्व0 श्री नूर खां

समस्त जाति तेली (मुसलमान) निवासीगण ग्राम भवानी खेडा (नरवर) तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. श्री मिट्ठनलाल पुत्र श्री पुखराज जाति नाई
2. श्री हरश्याम पुत्र श्री लादूराम जाति खटीक
3. श्री बन्दु खां पुत्र स्व0 श्री छीतर जाति मुसलमान

समस्त निवासीगण ग्राम भवानीखेडा तहसील व जिला अजमेर

4. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार,अजमेर

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक :– 05.12.2019

पत्रावली पेश हुई । वकिल उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना गया। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि ग्राम भवानीखेडा (नरवर) तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 121 रकबा 0.70

Scanned by CamScanner

हैक्टर, 122 रकबा 0.80 हैक्टर, 126 रकबा 0.48 हैक्टर, 127 रकबा 0.34 हैक्टर, 138 रकबा 0.79 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 140 रकबा 0.68 हैक्टर कुल रकबा 3.79 हैक्टर प्रार्थीगण के पैतिक संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की की कृषि भूमियॉ है। इसी प्रकार ग्राम भवानीखेडा (नरवर) तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 338 एवं 130 के खसरा नम्बर 36 रकबा 0.32 हैक्टर एवं 36/1410 रकबा 0.31 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 एवं खाता संख्या 218 के खसरा नम्बर 123/1417रकबा 0.10 हैक्टर एवं 124 रकबा 0.56 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 तथा खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर 123 रकबा 0.20 हैक्टर एवं 128 रकबा 1.37 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी एवं आधिपत्य की है । प्रार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमियों पर आवागमन हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर मुख्य सडक से अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 36, 36/1410, 124 से अवस्थित करता है जिसमें से प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी के समय से कृषि कार्य हेतु अपने खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमियों पर आते जाते रहे है जो कि ग्राम पंचायत नरवर द्वारा विद्वान तहसीलदार अजमेर के प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 5.1.2011 के तहत दिनांक 7.2.2011 को प्रस्तुत रिपोर्ट से पूर्णतया सिद्व है। उक्त वर्णित कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमियों में से अवस्थित करता था जो कि आज सहमति के रूप में चला आ रहा था। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमियॉ होने से रास्ते को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित विधिक प्रावधानो के तहत कीमतन उक्त रास्ता सुखाधिकार हेतु कायम किये जाने के आदेशार्थ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमियों पर मुख्य सडक से आवागमन एवं सुखाधिकार का एक मात्र रास्ता उत्तरी पूर्वी दिशा में अपार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमियों की मेड से लगता हुआ । उसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के खातेदारी भूमियों पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता अवस्थित नही करता है अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी भूमियों की उत्तरी मेड से लगता हुआ 20 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की कृषि भूमियों पर आवगमन हेतु दिया जाकर तदनृसार मौके पर राजस्व रेकार्ड में पालना किये जाने के आदेशार्थ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार याचित अनुतोष प्रदान करते हुए नियमानुसार राशि जमा कर 20 फुट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक उपस्थित आये।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा हो जाने से अप्रार्थी संख्या 2 अपने खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि में से दक्षिण दिशा की ओर से 266 फीट लम्बर एवं 15 फुट चौडा रास्ता अर्थात 443 वर्गगज जो कि लगभग (5 बिस्वा) भूमि होती है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पर आवागन हेतु प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

राजकीय पेरोकार ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 123/1381 जो नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी ने पक्षकार संयोजित नही किया गया के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । कार्यालय भू.अभिलेख निरीक्षक तहसील व जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19.12.16 के क्रम संख्या 3 में यह अंकित किया गया कि राजस्व रेकार्ड अनुसार दीर्घतम मार्ग खसरा नम्बर 36/1410 एवं खसरा नम्बर 36 हरश्याम पुत्र लादूराम खटीक एवं खसरा नम्बर 124 एवं 123/1417 मिटठनलाल पुत्र पुखराज कोम नाई के नाम दर्ज है खसरा नम्बर 123/1381 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम एवं 123 व 128 बुन्दु खा पुत्र छीतर एवं कोशल्या, खैरून, जनता, मदीना जरीना पुत्रीयॉ छीतर के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 36/1410 एवं 36 हरश्याम पुत्र लादूराम खटीक के नाम होना अंकित किया है जो स्वीकृत रूप से अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। एवं खसरा नम्बर 123/1381 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है। एवं अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार नही बनाया गया है। जिसमें से होकर 251 ए में रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। अन्य कोई मार्ग प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है ।

परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. टी.एक्ट 1955 उपरोक्त विवेचनानुसार पोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.10 12:20:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: